न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 602/2018

प्रार्थी

1. श्री रसाल कंवर पत्नि विश्वविकास जाति चारण उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम रूपावास तहसील पाली जिला पाली हाल निवासी 87 मोहन नगर 'ए' बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर जरिये आम मुखतियार विश्वविकास पुत्र श्री श्री देवकरण जाति चारण उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम रूपावास, तहसील पाली जिला पाली हाल निवासी 87 मोहन नगर 'ए' बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. मंगली देवी पत्नी भीमाराम जाति पटेल निवासी ग्राम रूपावास तहसील पाली जिला पाली
2. गेनाराम
3. जोराराम
4. भीमाराम पुत्रगण श्री गुणेशराम जाति पटेल निवासीगण मोगड़ा कला, तहसील जोधपुर राजस्थान
5. सरकार जरिये तहसीलदार पाली

उपस्थितिः—

1. श्री मनोहरदास वैष्णव, श्री मंजुल श्रीमाली विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री खंगार राम पटेल, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

—:आदेशः— दिनांक-30.7.2019

1. प्रार्थीगण ने निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम रूपावास के खसरा नंबर 55/5 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा व 55/8 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 55/5 व 55/8 तक जाने हेतु ग्राम रूपावास अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 55/6 व 55/7 मे से में से होकर प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी ने प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा बना कर प्रार्थना—पत्र के साथ में प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी किया गया तथा आवेदित भूमि में संबन्ध में तहसीलदार, पाली से जांच रिपोर्ट तलब की गई।

3. प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र में आवेदित भूमि की जांच तहसीलदार पाली के पत्रांक राजस्व/19/2501 दिनांक 28.05.19 पेश कर निवेदन किया की ग्राम रूपावास के ख.न. 55/5 व 55/8 में आवागमन के रास्ते बाबत जांच हेतु ख.नं. 55/5 55/8 55/6 च 55/7 का मौका निरीक्षण दिनांक 17.05.19 को किया गया। उक्त रास्ते बाबत पूर्व मे दिनांक 24.10.18 को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। पूर्व में ख.न. 55/5 च 55/8 का रास्ता ख.न. 55/7 की पूर्व की माठ के पास पानी के खालिया के पास—पास होते हुए ख.न. 55/6 के मध्य भाग मे पानी के खालिया व मिटी से बनी पाल के पास—पास होते हुए ख.न. 55/5 मे प्रवेश करता था वर्तमान मे ख.न. 55/7 में पानी का खालिया तो मोजूद है परन्तु ख.न. 55/6 में खालिया को मिटी से पाट कर बन्द किया हुआ है एवं ख.न. 55/6 व 55/7 मे ट्रेक्टर द्वारा खडाई

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

की हुई है। ख.न. 55/6 मिट्टी की पाल द्वारा मौके पर दो भागो में विभक्त है वर्तमान में मौके पर ख.न. 55/5 मे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। एवं न ही सिचाई हेतु पानी का खालिया है। ख.न. 55/6 व 55/7 के खातेदार उक्त खसरो की पश्चिमी माठ के पास रास्ता देने को सहमत है। इसके संलग्न मौका पर कटानी रास्ते से स्थान A से BC तक पानी का सिंचाई हेतु धोरा मिट्टी मे खुदाई कर बनाया हुआ है। C से D तक जहा पूर्व में पानी का धोरा था व खसरे के शेष भाग में भी ट्रैक्टर से जुताई की हुई है। C से D तक मौके पर मिट्टी की पाल बनी हुई है जो बर्सात के पानी को रोकने के लिये बनाया हुआ होना बताया उक्त पाल के दोनो तरफ 55/6 की भूमि है। पूर्व में आपसी सहमति से धोरे व मिट्टी की पाल के पास पास ख.न. 55/8 व 55/5 मे आया जाया करते थे परन्तु स्थाई रास्ता नहीं था। ख.न. 55/6 के खातेदारे ने बताया की पूर्व मे प्रस्तावित स्थान पर रास्तों देने से मेरे 55/6 खेत के दो टुकड़े होते है जिसके काश्त करने में अशुद्धिया होती है मध्य के स्थान पर पश्चिम माठ के पास पास रास्ते देने को सहमत है एवं रास्ते के बदले मे उतनी ही भूमि लेना चाहते है इसी तरह ख.न. 55/7 के खातेदार श्री जोराराम ने बताया की वो भी पश्चिमी माठ के पास रास्ता देने पर सहमत है। वो भी रास्ते की जमीन के बदले मे जमीन (भूमि) लेना चाहते है। ख.न. 55/7 व 55/6 के मौके पर पश्चिमी माठ के पास में कोई रास्ता नहीं है एवं नहीं इससे पानी का धोरा है। पूर्व में प्रस्तावित रास्ता व वर्तमान में जहां पश्चिमी माठ के पास रास्ता देने को सहमत है दोनो रास्तो की लम्बाई लगभग समान है ख.न. 55/5 व 55/8 मे पूर्व मे सिचाई ख.न. 55/7 के पूर्व भाग व 55/6 के मध्य मे बने धोर से ही होती रही है 55/6 के मध्यय मे बना धोरा वर्तमान मे मौके पर नहीं है। 55/5 व 55/8 में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग/रास्ता नहीं है।

4. वकुलाय की बहस सुनी गई जिसमें वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषिभूमि खसरा नम्बर 55/5 व 55/8 मे आने जाने हेतु रास्ते की मांग की गई है जबकि प्रार्थीया के खसरा नम्बर 55/8 राजस्व नक्शे मे तरमीम नहीं है। खसरा नम्बर 55/8 तरमीम नहीं होने से तरमीम के अभाव मे यह प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 54,55/5, 55/3, 55/5 एवं 55/8 है जिसमें से खसरा नम्बर 54,55/2, एवं 55/5 की भूमि राजस्व नक्शे मे तरमीम है परन्तु खसरा नम्बर 55/3 एवं 55/7 की भूमि तरमीम नहीं है। प्रार्थीया की उक्त भूमि तरमीम के अभाव में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए का पेश कर खसरा नम्बर 55/8 को तरमीम करवाने की कार्यवाही करवा रही है जो कानून की मंशा के विरूद्ध होने से प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र खारिज करने योग्य है। उपरोक्त प्रकरण में श्रीमान के आदेश से भू–अभिलेख निरीक्षक रूपावास द्वारा दिनांक 23.10.2018 को रिपोर्ट मोका फर्द तैयार की गई उसमें खसरा नम्बर 55/5 के जुडता उत्तर दिशा मे खसरा नम्बर 55/8 व 55/4 दर्शाया है जबकि राजस्व नक्शा एवं प्रार्थीया के नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 55/5 के जुड़ता उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 55/4 दर्शाया हुआ है जो अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी भूमि रकबा 27.10 बीघा है तथा खसरा नम्बर 55/4 पड़ोसी खसरा नम्बर 53/9 व खसरा नम्बर 58 से जुड़ता है तथा राजस्व नक्शे में तरमीम है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने दुर्भावनापूर्वक फायदा पहुचाने की नियत से नये तथ्य एवं नया विवाद कायम करने की नियत से तैयार की गई है जिसमें खसरा नम्बर 55/5 के पास खसरा नम्बर 55/8 प्रार्थीया की खातेदारी कृषिभूमि होना लिखा है तथा साथ में यह भी लिखा है कि उक्त खसरा नम्बर 55/8 लट्ठा ट्रेस मे तरमीम दर्ज नहीं है न लिखा है। जो रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने से खारिज करने योग्य है। तरमीम के अभाव मे व इस प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रार्थीया अपनी भूमि को तरमीम करवाने का प्रयास कर रही है इस कारण यह प्रार्थनापत्र खारिज करने योग्य है। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र एवं साथ सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार अपनी भूमि

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 55/5 तक जाने आने हेतु खसरा नम्बर 55/7 की पूर्वी माठ एवं आगे खसरा नम्बर 55/6 के बीचोबीच मे से होकर 15 फीट चौड़ा नये रास्ते की मांग की है जो कत्तई न्यायसंगत नहीं है। क्योकि खसरा नम्बर 55/6 की खातेदारी के बीचोबीच रास्ता निकालने से खसरा नम्बर 55/6 दो टुकड़ो में विभक्त हो जायेगा जिससे अप्रार्थी के लिये अधिक नुकसान दायक होगा। अप्रार्थी संख्या एक को काश्त करने मे भारी मुश्किलो का सामना करना पड़ेगा तथा फसल की सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा खर्चिला होगा। जबकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि तक जाने हेतु निकटतम व सरल रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 55/7 एवं 55/6 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे रास्ता देना ज्यादा सुगम, सरल एवं कम नुकसानदायक है जिसका भू–अभिलेखनिरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा तथा अपनी रिपोर्ट मे खसरा नम्बर 55/7 मे व खसरा नम्बर 55/6 के मध्य पानी का खालिया पूर्व में होना दर्शाया है जबकि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में कोई खालिया दर्ज कर अपने दायित्व से बाहर जाकर जो रिपोर्ट पेश की है जो खालिया राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज नहीं है इस कारण से भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट तथ्य एवं दस्तावेज के विपरित होने से प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है और रिपोर्ट 17.05.19 क्षैत्राधिकार के बाहर है भू अभिलेखनिरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में डी.एल.सी. दर से दो गुना राशि दर्ज की है जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीण की इस भूमि की मार्केट वेल्यू डी.एल.सी. दर से 3 गुना अधिक है। इसलिये प्रार्थी को रास्ते के रूप में दी जाने वाली भूमि के बराबर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में से अप्रार्थीगण को देना व्यवहारिक एवं न्यायसंगत होता है जिसका वर्णन प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र एवं भ अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है। इस कारण प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र खारिज करने योग्य हैं रिपोट 17.05.19 मे रास्ते का क्षैत्रफल व बाजार दर नहीं दर्शाया है। जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन मय खर्चा खारीज फरमावें।

5. अधोहस्ताक्षरकार्ता स्वयं द्वारा संबंधित ग्राम के भू.अ.नि. रूपावास व पटवारी रूपावास के साथ मौका निरिक्षण किया गया। जिसमें दिनांक 13.06.2019 को पटवार रूपावास के राजस्व ग्राम रूपावास के खसरा नम्बर 55/7 का सीमांकन कटानी रास्ते से खसरा नम्बर 55/7 की पश्चिमी माठ की लम्बाई बिन्दु A से B की मौका कब्जा की लम्बाई 138 गट्ठा है इसी प्रकार खसरा नम्बर 55/4 से 55/5 तक (55/6,55/8 शामलात माठ पश्चिमी) BC की लम्बाई मौका कब्जा अनुसार 115 गट्ठा बनती है मौके पर खसरा नम्बर 55/6 व 55/8 की भूमि के रकबे पर खातेदार ख.नं. 55/6 का कब्जा काश्त है। राजस्व नक्शा लट्ठा अनुसार मौके पर उपरोक्त स्थिती है इस प्रकार खसरा नम्बर 55/6 व 55/8 की माठ की लम्बाई का निधारर्ण निश्चित नहीं है। राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम नहीं है जबकि बटवाड़ा नामातंरकरण संख्या 1533 स्वीकृत 08.01.2010 आपसी सहमति बटवाड़ा के द्वारा खाता अलग अलग है वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072–75 मे अलग अलग खाता है।

6. अतः प्रार्थी के खसरा नम्बर 55/8 की स्थिति स्पष्ट नहीं है एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत ट्रेस नक्शा पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं अन्तिम रिपोर्ट मे विराधाभास है तथा खसरा नम्बर 55/8 की तरमीम किये बिना रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner